5 pages

113

1/151/2018

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0—14-7
क्रमांक— 151/2018
आरबीई सं0—121/2018
(अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 78)
सं0 ई/204/25/भाग—1/चार

दिनांक01—10—2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः—राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) को ड्यूटी पास हकदारी में संशोधन।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(डब्ल्यू)91/पीएस 5—13/2 दिनांक 04.09.2018 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0 के0 पाण्डेय)
सकाधि/मुख्या0—II
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर — 40 प्रतियों में।
2— महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
3— महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
4— पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर — 01 प्रति में।
5— महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0—02 प्रतियों में।
6— मुकायोवी/एमपीपी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु — 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

RBE No.: 121/2018

ADVANCE CORRECTION SLIP No.: 73

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

No. E(W)91/PS5-13/2 New Delhi, dated 04.09.2018

The General Managers (P)
All Zonal Railways &
Production Units.

Sub: Amendment in the Duty Pass entitlement of Government Railway Police (GRP).

The extant Duty Pass entitlement of GRP stipulated in Item No.37 of Schedule-VII (Special Passes) of Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition-1993) has been reviewed and the Competent Authority has accorded his approval for its amendment as follows:-

Category	Entitlement
Government Railway Police (GRP).	(i) Entitled to First/Second Class Duty Card/Cheque Passes over specified jurisdictions i.e. entire jurisdiction of the officer/officials of GRP, even if the same extends to the contiguous Railway(s). (ii) First Class 'A' Duty Pass entitlement to GRP Officers for self-travel only, over jurisdictions as specified above, will be regulated as under provided that such officers are also entitled to travel in 1-AC Class as per Travelling Allowance Rules/Orders/Instructions of respective State Governments:- (a) IGs/DIGs/AIGs who are exclusive in-charge of GRP are entitled to First Class 'A' "Duty Card Passes" valid for travel in 1-AC Class of Mail/Express trains. (b) IGs/DIGs/AIGs supervising GRP in addition to certain other duties (i.e. not exclusive in-charge) are entitled to First Class 'A' "Duty Cheque Passes" valid for travel in 1-AC Class of Mail/Express trains for performing railway duty. (c) One Officer of the rank equivalent to IG and above from each State, heading and exclusive in-charge of GRP is entitled to First Class 'A' "Duty Card Pass" for self-travel in 1-AC Class of Mail/Express/Rajdhani trains and EC Class of Shatabdi Express trains. Note:- Other conditions relating to issue of such passes shall continue to be governed by administrative orders issued from time to time.

...2/-

3
151/2018

2. The Railways may obtain self declaration from the officer concerned that he/she satisfies the conditions applicable to him/her, as stipulated under Rule(ii) above, before issue of First Class 'A' Duty Passes.

3. The Railways may take necessary action accordingly.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

V. Murali

(V. Muralidharan)
Dy. Director Estt.(Welfare)-I
Railway Board

No.E(W)91/PS5-13/2 **New Delhi, dated** 04.09.2018

Copy to :-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares).
2. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroze Shah Road, New Delhi (with 30 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan. New Delhi.
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No.402, Rail Bhawan.
7. The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association.
8. The General Secretary, RBSSSA, Room No.439, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Promottee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The President, Indian Railway Class II Officers Association, Rail Nilayam, Secunderabad.
11. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
12. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
13. The Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association. Room No.7, Rail Bhawan.
15. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.

for Secretary/Railway Board

Copy forwarded to:-

(i) Director(GA), Railway Board.
(ii) Computer Cell, C&IS, Railway Board for uploading this on MoR's website for information of all concerned.
(iii) As per standard list.

4/151/2018

आरबीई सं.: 121/2018

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.: 78

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

सं.ई(डब्ल्यू)91/पीएस 5-13/2 नई दिल्ली, दिनांक०५.०९.2018

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां

विषय: राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) की ड्यूटी पास हकदारी में संशोधन.

रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण- 1993) की अनुसूची VII(विशेष पास) की मद सं. 37 में विनिर्दिष्ट रा.रे.पु की मौजूदा ड्यूटी पास हकदारी की समीक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकारी ने निम्नानुसार इसमें संशोधन करने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है:-

वर्ग	हकदारी
राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु)	(i) विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार अर्थात रा.रे.पु. के अधिकारी/प्राधिकारी के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में प्रथम/द्वितीय श्रेणी ड्यूटी कार्ड/चैक पास की हकदारी है, इसे निकटवर्ती रेलों पर भी दिया जा सकता है. (ii) उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्राधिकार में रा.रे.पु के अधिकारी केवल स्वयं यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी 'क' ड्यूटी पास के लिए हकदार हैं, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों के यात्रा भत्ता नियमों/आदेशों/अनुदेशों के अनुसार प्रथम-वातानुकूलित श्रेणी में भी यात्रा करने के लिए हकदार हों जो निम्नानुसार विनियमित होंगे:- (क) महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक/अपर महानिरीक्षक जो राजकीय रेलवे पुलिस के विशेष प्रभारी हों, प्रथम श्रेणी 'क' " ड्यूटी कार्ड पास" के लिए हकदार हैं, जो मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के लिए वैध हैं.

5
151/2018

	(ख) कोई कतिपय अन्य ड्यूटियों (अर्थात् विशेष प्रभारी न हों) के अलावा राजकीय रेलवे पुलिस का पर्यवेक्षण करने वाले महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक/अपर महानिरीक्षक रेलवे ड्यूटी करने के लिए प्रथम श्रेणी 'क' "ड्यूटी चैक पास" के लिए हकदार हैं जो मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के प्रथम-वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के लिए वैध हैं. (ग) प्रत्येक राज्य के महानिरीक्षक के समकक्ष रैंक और उससे ऊपर का एक अधिकारी, राजकीय रेलवे पुलिस का प्रमुख और विशेष प्रभारी स्वयं के लिए प्रथम श्रेणी 'क' "ड्यूटी कार्ड पास" के लिए हकदार हैं, जो मेल/एक्सप्रेस/राजधानी गाड़ियों के प्रथम-वातानुकूलित श्रेणी में और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की एग्जिक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए वैध हैं. टिप्पणी:- ऐसे पासों के जारी करने से संबंधित अन्य शर्तें समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों द्वारा शासित होंगी.

2. रेलवे को प्रथम श्रेणी 'क' ड्यूटी पास जारी करने से पूर्व संबंधित अधिकारी से इस आशय का घोषणा पत्र लेना होगा कि वह उपरोक्त नियम (ii) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करता है.

3. रेलवे, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें.

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(बी. मुरलीधरन)
उप निदेशक, स्था.(कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(डब्ल्यू) 91/पीएस5-13/2 नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2018

प्रतिलिपि:-
भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें